National Research Journal of Social Sciences (NRJSS)
Volume-3, Issue-1&2, Year-2018 PP: 64-75 **ISSN No: 2348-473X**

भेदभाव : एक अभिशाप

टंजू बाला

गेस्ट फैकल्टी, डी.ए.वी. कॉलेज फॉर गर्ल्ज़, यमुनानगर।

प्रस्तावना

भेदभाव एक प्रकार का अन्यायपूर्ण व अनैतिक व्यवहार होता है । जो किसी व्यक्ति द्वारा, एक समूह द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या विशेष समूह के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग, नस्ल, क्षेत्र जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है । जिससे वह विशेष वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों और स्वतन्त्रताओं से वंचित रहता है और उसके जीवन का उचित विकास भी नहीं हो पाता यदि समाज को दो वर्गों में बांटा जाए तो एक शक्तिशाली वर्ग होता है और दूसरा कमजोर वर्ग, जो लोग भेदभाव का ज्यादा शिकार होते है वे कमजोर वर्ग से सम्बन्धित होते है । इस कमजोर वर्ग में उन जाति, धर्म, नस्ल, भाषा लिंग आदि से सम्बन्धित व्यक्ति ओते हैं जिन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है।

यदि भारत में भेदभाव के आधारों का अध्ययन किया जाए तो भारत में यह धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लिंग के आधार पर भाषा के आधार पर और असमर्थ लोगों के प्रति भेदभाव के रूप में व्याप्त है ।

भारत में भेदभाव की समस्या को गम्भीर मुद्दा मानते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिकों को लिंग, जाति, धर्म, भाषा और असमर्थता के विभेद किए बिना समानता के अधिकार की गांरटी प्रदान की है । भारत के सभी नागरिकों को संविधान में वर्णित सभी मौलिक अधिकार बिना किसी विभेद के समान रूप से प्रदान करने के प्रावधान किए गए है । भारतीय संविधान में नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत राज्य के अपने नागरिकों के प्रति कर्त्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है । भारतीय सरकार द्वारा भारत में भेदभाव को रोकने के लिए और भेदभाव से पीड़ित लोगों के संरक्षण के लिए कई प्रकार के कानूनी प्रावधान भी किए गए है ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1945 में यू.एन.ओ. की स्थापना के बाद समानता के अधिकार को अधिकार की श्रेणी में सर्वोपरि अधिकार माना गया । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यू.एन.ओ. द्वारा विभिन्न प्रकार के भेदभावों को रोकने के लिए समय-समय पर अनेक घोषणाएं, अभिसमय प्रोटोकाल पारित किए गए ।

विषय क्षेत्र

1. इस अध्ययन के द्वारा महिलाओं, अल्पसंख्यक जाति व जनजाति के प्रति हो रहे भेदभाव का वर्णन करना ।
2. भेदभाव का अर्थ व भेदभाव की समाप्ति हेतु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का अवलोकन करना ।
3. कमजोर वर्ग के विरूद्ध भेदभाव निषेद्धित भारतीय संवैधानिक प्रावधानों व अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधानों का विश्लेषण करना ।

शोध पद्धति

शोध कार्य में अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है इसमें ऐतिहासिक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है ।

शोध समस्या

असमर्थ लोगों, महिलाएं अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति और जनजाति की प्राचीन काल से ही समाज में निम्न स्तर पर समझा जाता था । उन्हें समाज की मुख्य धारा से बांटकर रखा जाता था । शक्तिशाली समाज उन्हें निम्न दृष्टि से देखता था । उन्हें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है और अत्याचार और अमानवीय व्यवहार को भी सहना पड़ता है । उनके विरूद्ध कई प्रकार की हिंसाए भी की जाती है । इस शोध में इन वर्गों के प्रति होने वाले भेदीभाव, हिंसाएं व अमानवीय व्यवहार का अवलोकन किया गया है ।

©National Press Associates www.npajournals.org

शोध प्रश्न

- भेदभाव क्या है?
- भेदभाव की प्रकृति क्या है?
- राष्ट्रीय स्तर पर भेदभाव को रोकने के लिए किए गए प्रावधान कौन-कौन से हैं?

भूमिका

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में भेदभाव की समस्या को गंभीर मुद्दा मानते हुए भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु, जन्म स्थान, भाषा व क्षेत्र के भेदभाव के सभी के लिए समान अधिकारों और समान कर्तव्यों की व्यवसथा की है ताकि भेदभाव की समाप्ति हो सके और भाईचारे की भावना बनी रह सके । वैसे तो भारतीय संविधान में वर्णित सभी अधिकार और कर्त्तव्य भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से है लेकिन फिर भी भारत के कमजोर वर्ग जिसमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, वृध्द, असमर्थ लोगों के लिए अलग से प्रावधान किए गए है ।

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान के निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें ।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राष्ट्र कहा गया है जिसका उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा व अवसर की असमानता को समाप्त करना है । भारतीय संविधान में भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य कहा गया है जिसमें सभी अवधारणाएं विद्यमान है । जिसके अनुसार हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है । भारतीय संविधान में भारत के समस्त नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है ।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है । प्रत्येक व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की और कोई वृति, उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है । इस उपबन्ध के अनुसार भारत के किसी नागरिक पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग आदि के आधार पर रोक नहीं लगाई जाएगी । सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त करने की स्वतंत्रता है लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता हैं ।

बंधुत्व भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्यों में से एक है इसका अर्थ है 'भाईचारे की भावना' भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है यहां सभी धर्म समान है । उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है ।

मूल अधिकारों में भेदभाव की समाप्ति संबंधी प्रावधान

अनुच्छेद-14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा और किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों को प्रदान करने में जन्म, मूलवंश, धर्म, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा । अतः स्पष्ट होता है कि यह अधिकार कमजोर वर्ग और अन्य वर्गों दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है । कमजोर वर्ग जिसमें स्त्रियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, वृध्द और असमर्थ शामिल है । इन्हें प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक क्षेत्र में अन्य वर्गों के समान समानता का अधिकार है ।

किसी भी व्यवसाय में यदि कोई भी नियम बनता है तो वह दोनों वर्गो पर समान रूप से लागू होता है । यदि कोई ऐसा नियम बनाया जाता है जो लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान और भाषा आदि के आधार पर भेदभाव पर बल देता है तो यह अनुच्छेद-14 का उल्लंघन माना जाएगा ।

वाद : नर्गिस मिर्जा बनाम यूनियन आफ इण्डिया

इस मामले में नर्गिस मिर्जा एक एयर इण्डिया विभाग में एक एयर होस्टेज थी । उसने एयर इण्डिया के नियमों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की उन नियमों के अनुसार एक एयर होस्टेज को एयर इण्डिया में नौकरी पाने के बाद 4 वर्ष तक विवाह नहीं करना होगा । दूसरा यदि कोई विवाहित एयर होस्टेज गर्भवती हो जाती है या 35 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो उसे इस्तीफा देना

©National Press Associates www.npajournals.org

होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इण्डिया के इन नियमों को अनुच्छेद-14 के अनुसार खारिज करते हुए कहा कि एयर इण्डिया द्वारा बनाए गए ये नियम महिलाओं और पुरूषों के समान अधिकारों का उल्लंघन करते हैं । हमारे संविधान के मौलिक अधिकार-14 समानता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है ।

अनुच्छेद-15 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा । भारत के सभी नागरिक जिनमें स्त्री, पुरूष, बच्चे, वृद्ध असमर्थ सभी शामिल है चाहे वे किसी भी धर्म से किसी भी जाति से किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित हो वे सभी अपनी योगयता के अनुसार सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान रूप से भागीदार हो सकते हैं । यदि किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी आधार पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी रूप में भेदभाव किया जाता है तो यह भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होगा ।

अनुच्छेद -15(3) के अनुसार राज्य महिलाओं बच्चों अनुसूचित जाति, जनजाति असमर्थ को कमजोर वर्ग में रखते हुए विशेष व्यवस्था कर सकता है । इस अनुच्छेद के खण्ड (3) के तहत राज्य समाज के कमजोर वर्गो के सशक्तिकरण के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिसके अर्न्तगत इन वर्गो के विकास के लिए सरकार विशेष योजनाएं, वित्तिय सहायता एवं नौकरी की व्यवस्था और राजनीतिक पदों में आरक्षण दे सकते हैं । राज्य या केन्द्रीय सरकार किसी महिला के लिए शिक्षा संस्थाएं खोल सकती है और सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती है ।

वाद : यूसूफ अब्दुल अजीज बनाम बम्बई राज्य

इस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 जिसमें यह कहा गया है कि जारकर्म के अपराध के लिए पुरूष दण्डित किया जा सकता है किन्तु स्त्री को दुष्प्रेरक के रूप में दण्डित नहीं किया जा सकता, यह असंवैधानिक नहीं हैं । कारण यह है कि भारतीय समाज में स्त्री की विद्यमान स्थिति को देखते हुए स्त्रियों को संरक्षण देना आवश्यक है ।

अनुच्छेद -16 के अर्न्तगत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी । महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों वृद्धों और असमर्थ लोग जिन्हें कमजोर वर्ग में रखा गया है, कि लिए बिना किसी धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, उदभव, जन्म स्थान निवास के आधार पर भेदभाव के अपनी योग्यता के अनुसार अवसर की समानता का अधिकार होगा अनुच्छेद-16 खण्ड (2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के लिए केवल धर्म मूलवंश जाति, लिंग, जनम स्थान आदि या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा खण्ड (3), (4) में राज्य को यह शक्ति दी गई है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिए व पिछड़ी जाति के लिए महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान करे जो नियुक्ति सम्बन्धी हो और जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकते है व अवसर की समानता प्रदान करते हैं । इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही कोई ऐसा नियम बनाया जाएगा जो किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रोत्साहित करता है । भेदभाव के आधार पर किसी भी नागरिक की पदोन्नति को रोका नहीं जाएगा प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है ।

अनुच्छेद-16 के अर्न्तगत महिलाओं को पुरूषों के बराबर समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है और महिलाओं के विरूद्ध किसी भी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था द्वारा उसकी आयु, शारीरिक बनावट, लिंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद - 16 खण्ड (5) किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बन्धित कोई पद उस विशिष्ट धर्म या विशिष्ट सम्प्रदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जा सकता है जिससे वह संस्था सम्बन्धित है ।

अनुच्छेद - 17 में अस्पृश्यता शब्द का संदर्भ कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म व जातियों के आधार पर सामाजिक नियोग्यता से है । इन वर्गों के लोगों की सदैव भेदभाव का शिकार होना पड़ता है जिसे अनुच्छेद 17 द्वारा निषेद्धित किया जाता है और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा ।

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-17 के तहत यह व्यवस्था की है कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए । संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा इस अपराध के लिए दंड विहित करे इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया था । जो अब

©National Press Associates www.npajournals.org

सिविल अधिकार अधिनियम 1976 हो गया है । इस अधिनियम में कुछ कार्यों को जब वे अस्पृश्यता के आधार पर किए जाते हैं को अपराध माना गया है और उनके लिए दण्ड विहित किया गया है जैसे -

(क) किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था में जैसे अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्था में प्रवेश न देना ।

(ख) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के किसी स्थल में उपासना या प्रार्थना करने से रोकना ।

(ग) किसी दुकान, सार्वजनिक, रेस्तरा, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर जाने से रोकना और सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करने में नियोग्यता अधिरोपित करना । इस अधिनियम का दायरा 1976 में और विसतृत किया गया । इसके अर्न्तगत -

1. अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना ।
2. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना ।
3. इतिहास, दर्शन या धर्म के आधार पर जाति के आधार पर अस्पृश्यता की न्यायोचित ठहराना आदि सभी अधिनियम 1976 के अनुसार दण्डनीय हैं ।

अनुच्छेद-19 यह उपबन्धित करता है कि भारत के सभी नागरिकों को 6 स्वतन्त्रताओं की गारंटी प्रदान की जाती है । ये स्वतंत्रताएं सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होगी। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, संघ व समुदाय बनाने का अधिकार, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूमने-फिरने का अधिकार है । लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को लेकर यह स्वतंत्रता सीमित है ।

प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है । प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कोई भी वृति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है । यह अनुच्छेद राज्य की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर इन स्वतंत्रताओं पर कुछ सीमाएं भी निर्धारित करता है ।

अनुच्छेद-21 मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने के अधिकार को उपबन्धित करता है । भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना धर्म जाति, लिंग, आयु, जन्म स्थान, भाषा, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर भेदभाव के प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का और अपना विकास करने का अधिकार है । व्यक्ति का यह अधिकार अनुवांशिक है व प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त है । प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संस्कृति, सभ्यता और प्रतिष्ठा बनाए रखने का व सुरक्षा का अधिकार है । किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, संस्कृति, सभ्यता और परम्पराओं की हानि पहुंचाना दण्डनीय होगा ।

अनुच्छेद-21 शोषण से मुक्ति का आश्वासन देता है । मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार संवैधानिक है और इसकी रक्षा करना राज्य का दायित्व है । खासकर कमजोर वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, आयु, जन्म स्थानों, भाषा क्षेत्र नस्ल के आधार पर यदि शक्तिशाली उच्चवर्ग द्वारा भेदभाव किया जाता है या उसका शोषण किया जाता है तो वह मौलिक नहीं होगा । यह विधि के विरूद्ध होगा और मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार का और अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होगा ।

जीवन के अधिकार के अर्न्तगत देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अच्छा जीवन जीने का, अच्छे स्वास्थ्य का, साफ स्वच्छ वातावरण, भोजन का अधिकार, साफ पानी, साफ कपड़े और आवास स्थान व आश्रय प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधएं प्राप्त करने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क व आवश्यक शिक्षा का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का, काम करने का अधिकार शामिल है ।

वाद : विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

इसमें विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के साथ कार्य स्थल पर शारीरिक छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में कहा था कि कामकाजी महिला के यौन शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है । सुप्रीम कोर्ट ने हर नौकरी पेशा या नौकरी देने वाली संस्था चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी जिसमें महिला कार्य कर रही है, को उसके शोषण को रोकने के आदेश दिए गए है जिसके लिए संस्था को निम्न नीतियों का पालन करना होगा । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फैक्टरी मालिक चाहे वह निजी संस्था का हो या सरकारी उसका कर्तव्य है कि

©National Press Associates www.npajournals.org

किसी भी कर्मचारी महिला से शारीरिक स्पर्श न किया जाए । महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का लालच या मजबूरी वश शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता । पुरूष कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे से अभद्र तरीके की बातचीत जो महिला के स्त्रित्व को ठेस पहुंचाती है नहीं की जाएगी महिलाओं की बुलाते समय गलत ढंग से इशारा करना या गलत भाषा का प्रयोग करना इन्हें निषेधित किया जाएगा यदि ऐसा हो तो वह मालिक दण्ड का भागीदार माना जाएगा ।

अनुच्छेद-23 में यह उपबन्धित किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिबद्ध किया जाता है इस अनुच्छेद के अर्न्तगत स्त्रियों, बालकों और अपंग व्यक्तियों के अनैतिक या अन्य प्रयोजनों के लिए दुर्व्यापार का प्रतिबंध किया गया है । महिलाओं और बच्चों व निम्न जातियों के लोगों से अधिक परिश्रम करवाकर उन्हें अन्य लोगों की तुलना में समान कार्य के लिए अलग व कम मजदूरी देना भी उनके प्रति भेदभाव ही होता है । यह अनुच्छेद-23, 24 का उल्लंघन है । इस व्यवस्था के अर्न्तगत कोई भी उल्लघंन कानून के अनुसार दण्डनीय होगा ।

अनुच्छेद-25 यह उपबन्धित करता है कि प्रत्येक नागरिक को कोई भी धर्म मानने का और कोई भी धर्म अपनाने का, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है और राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने राज्य के नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों के नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से उपलब्ध करवाएगा ।

अनुच्छेद-26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायों व उसके किसी अनुभाग को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे । धार्मिक एवं मूल प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार धर्म प्रचार करने का अधिकार है । अपने धर्म सम्बन्धी कार्य का प्रबन्ध करने का अधिकार जंगम और स्थावर से प्रति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार अर्थात प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को देश की सीमाओं के अर्न्तगत किसी भी स्थान पर जाकर संपति के अर्जन का और स्वामित्व का अधिकार है ।

अनुच्छेद-27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय के विकास के लिए व्यय करने व कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद-29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को उसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है । इसके अतिरिक्त किसी नागरिक के साथ राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता । अनुच्छेद-29 में धार्मिक अल्प संख्यकों एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं जैसा कि सामान्यतः माना जाता है क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यकों एवं बहुसंख्यक दोनों से है । उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है ।

अनुच्छेद-30 धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा । इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव दण्डनीय होगा राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा ।

नीति निर्देशक तत्वों में भेदभाव की समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान

भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है । राज्य का यह दायित्व है कि वह राज्य की नीतियों एवं कानून को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखे इन नीति निर्देशक तत्वों के अर्न्तगत अनुच्छेद - 38, 39 (क), 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 में देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से अधिकार व सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । यह राज्य का दायित्व है कि वह अपने राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के ये सभी अधिकार व सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।

अनुच्छेद-38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमान्यता को समाप्त करना ।

अनुच्छेद-39 सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधन, धन और उत्पादन के साधनों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार है और बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की

©National Press Associates www.npajournals.org

सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है । पुरूषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है । इसके तहत समान वेतन अधिनियम, 1976 भी पारित किया गया ।

अनुच्छेद-39 (ए) महिला कर्मचारी की शारीरिक, भौतिक, सामाजिक जरूरतों को पूरा करने एवं उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए है ।

अनुच्छेद - 39 (एफ) कमजोर वर्ग के लोगों को महिलाओं को गरीबों के समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है राज्य इस व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा ।

अनुच्छेद-41 प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव काम प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, बेकारी से मुक्ति, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अपंगता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है । अनुच्छेद - 42 भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी विभेद काम की न्याय संगत और उचित वातावरण प्राप्त करने का अधिकार है । महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद - 43 सभी कर्मचारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के उचित मजदूरी, उच्च जीवन स्तर और समान सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का अधिकार है ।

अनुच्छेद - 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के एक समान सिविल संहिता का अधिकार है ।

अनुच्छेद - 47 राज्य का यह दायित्व है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा करें व पोषाहार स्तर को बढ़ाने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाएं तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करें ।

अनुच्छेद - 45 राज्य का यह दायित्व है कि राज्य के प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना ।

मूल कर्तव्यों में भेदभाव की समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान

मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 (क) को जोड़ा गया । इस भाग में केवल एक अनुच्छेद था वह अनुच्छेद 51 (क) था, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया जिसमें एक मुख्य कर्तव्य शामिल है जिसके अनुसार भारत के सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वे समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश, लिंग या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे है । ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है । यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की मानवता को प्रोत्साहित करेगा यदि भारत के सभी नागरिक केवल अनुच्छेद 51 के इस मूल कर्तव्य का पालन करे तो धर्म, जाति, भाषा और लिंग पर आधारित भेदभाव का कही नाम नहीं रहेगा ।

संविधान के अन्तर्गत कमजोर वर्ग, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अन्य प्रावधान

अनुच्छेद -330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण ।

अनुच्छेद -330 (1) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथा स्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है । जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है ।

अनुच्छेद -331 अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य के नाम निर्देशित कर सकेगा ।

अनुच्छेद - 332 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ।

©National Press Associates www.npajournals.org

अनुच्छेद–325 धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा ।

अनुच्छेद–243 सीटों का आरक्षण

यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में सभी तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है । राज्य विधानमंडल गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में एससी/एसटी के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण प्रदान करेगा।

अनुच्छेद – 243 (डी) में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पंचायती राज में आरक्षण करते समय यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों मे 1/3 भाग अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदो के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा ।

यह अधिनियम विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करें ।

अनुच्छेद – 243 (टी) यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण प्रदान करता है । इसके अलावा वह महिलाओं को कुल सीटों के 1/3 अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है । राज विधानमंडल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद पर पिछड़ी जातियों के आरक्षण के समर्थन में कोई भी उपबंध बना सकता है ।

लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है।

हालांकि अनुसूचित जातियों व जन जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है लेकिन इनका निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है । अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है ।

अनुच्छेद–350 (क) के अनुसार, प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह भाषागत अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा की प्राथमिक अवस्था में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने का प्रयास करें । राष्ट्रपति ऐसी सुविधाओं को भी सुनिश्चित कराने के लिए किसी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकता है जिसे वह आवश्यक व उचित समझे ।

अनुच्छेद – 350 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी किसी समस्या के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में आवेदन देने का अधिकार प्राप्त है ।

अनुच्छेद – 350 (ख) के अनुसार राष्ट्रपति भाषागत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है । जो इन वर्गों को दिये गए संरक्षणों से सम्बन्धित सभी विषयों का अनुसंधान कर राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन भेजेगा और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवायेगा तथा सम्बन्धित राज्यों की सरकारों की भिजवायेगा ।

अनुच्छेद – 347 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा के प्रयोग की मांग करता है जो राष्ट्रपति वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा उस राज्य में या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करें, सरकारी रूप में मान्यता दी जाएगी ।

संविधान के अनुच्छेद – 340 के अर्न्तगत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसे मण्डल आयोग कहा जाता है इस आयोग के मुख्य आयुक्त श्री बी.पी. मंडल ने अपना प्रतिवेदन 1980 में सरकार को प्रस्तुत किया अगस्त 1990 में सरकार ने इस प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत स्थान पिछे वर्गों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की ।

©National Press Associates www.npajournals.org

भेदभाव निषेद्धित सम्बन्धी मुख्य कानून

भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को लिंग, जाति धर्म, भाषा, असमर्थता के विभेद किए बिना समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है । भारत के सभी नागरिक संविधान में वर्णित सभी मौलिक अधिकार बिना किसी विभेद के समान रूप से प्राप्त करने योग्य है और राज्य का यह कर्तवय है कि वह भारत के अल्पसंख्यक वर्गों और कमजोर वर्गों के धर्म, भाषा, संस्कृति अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण को सुदृढ़ बनाए इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय विभिन्नता में एकता की अवधारणा पर बल दिया । भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तवयों में अनेक ऐसे अधिकारों की व्यवस्था की है जो अल्पसंख्य वर्गों और कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते है । लेकिन समस्या यह है कि भारत कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप इनके अधिकार और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है ऐसी परिस्थितियों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं निम्नजातियों, असमर्थ लोगों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कानूनी प्रावधान किए गए है । जिनमें से कुछ प्रावधान निम्नलिखित है –

महिलाओं के लिए विशेष कानूनी प्रावधान

1. दहेज प्रतिबन्धित अधिनियम, 1961
2. श्रम अधिनियम, 1970 के साथ कारखाना अधिनियम, 1948 जिसके अनुसार महिलाएं रात को 9 से सुबह 6 बजे तक काम नहीं करेगी ।
3. समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम, 1976
4. महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व व निषेद्ध अधिनियम, 1986
5. सती निवारण आयोग अधिनियम, 1987
6. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून 2005
7. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
8. बाल विवाह निषेद अधिनियम, 1929
9. वेश्यावृति निवारण अधिनियम, 1956
10. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
11. सिनेमैटीग्राफ अधिनियम, 1952
12. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध नियम), 1956
13. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929
14. चिकित्सा गर्भ सम्बन्धी अधिनियम, 1956
15. शरियत प्रार्थना अधिनियम, 1937
16. मुस्लिम महिला तलाक संरखण अधिनियम, 1986

भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1992 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया । महिलाओं के लिए कारखाना अधिनियम 1948 के अर्न्तगत पुरूषों के समान अधिकार दिए गए है और महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए है ।

1. महिलाओं के लिए अलग शौचालय तथा प्रसाधन कक्षों की अनिवार्य रूप से व्यवस्था हो, जिसमें दरवाजे लगे हों ।
2. यदि किसी उद्योग में 30 से अधिक महिला कामगार है तो उसके बच्चों के लिए शिशु गृह उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक है ।
3. महिलाओं को निर्धारित वजन से अधिक वजन उठाने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा ।

©National Press Associates www.npajournals.org

National Research Journal of Social Sciences (NRJSS)
Volume-3, Issue-1&2, Year-2018 PP: 64-75 ISSN No: 2348-473X

4. उन्हें किसी चलती हुई मशीनों को साफ करने या उनमें तेल डालने के कार्य में नहीं लगाया जा सकता ।
5. महिलाओं से एक सप्ताह के अर्न्तगत 48 घंटों से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता ।
6. सप्ताह में एक दिन का अवकाश अवश्य दिया जाएगा ।
7. महिलाओं से लगातार पांच घंटे से ज्यादा समय तक काम नहीं करवाया जाएगा ।

भारत की स्वतंत्रता के बाद 66 वर्ष तक महिलाओं के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वतंत्रता के पहले पांच वर्ष में मुख्य ध्यान महिला कल्याण योजनाओं की तरफ था । उसके बाद कार्य क्षेत्र में महिलाओं के विकास की तरफ और वर्तमान में महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा विशेष महत्वपूर्ण है । 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना है जिसके अर्न्तगत वे समाज के सामाजिक, आर्थिक, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके । इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई है जो निम्नलिखित है।

1. स्वास्थ्य बीमा योजना
2. सुधार योजना
3. इन्दिरा गांधी आवास योजना
4. किशोरी शक्ति योजना
5. महिला समृद्धि योजना
6. मातृत्व लाभ योजना
7. राष्ट्रीय महिला कोष
8. काम करने वाली महिलाओं के लिए हॉस्टल की योजना
9. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना
10. लाडली परियोजना

अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष कानूनी प्रावधान

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 1993

1. संयुक्त राष्ट्र घोषणा में कहा गया कि सभी सदस्य राज्य अपने राज्य के अर्न्तगत आने वाले राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान को बनाए रखने और उसे सुरक्षित करने व उनके विकास करने सम्बन्धी परिस्थितियां उपलब्ध करवाएंगे तब 1993 में भारत ने भारतीय अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संविधान के अर्न्तगत 103वीं संशोधन करके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संविधान में शामिल किया । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुख्य कार्य केन्द्रीय और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रमों की विकास दर का मूल्यांकन करना ।
2. संविधान और कानून के अर्न्तगत अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित संसद और विधानसभा द्वारा संचालित सुरक्षा उपायों को कार्यक्रम का संचालन व देखरेख करना ।
3. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अल्प संख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाएं गए सुरक्षा उपायों की प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए सुझाव देना ।
4. अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन से सम्बन्धित शिकायतों को मुख्य अधिकारी तक पहुंचाना ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संगठन आयोग 2009

17 फरवरी 2009 में लोकसभा द्वारा संविधान में संशोधन करके इस आयोग का निर्माण किया गया और संविधान में शामिल किया गया ।

©National Press Associates www.npajournals.org

इस आयोग का मुख्य कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकार को अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संगठनों से सम्बन्धित मुद्‌दों पर राय देगा और अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित शैक्षणिक संगठनों को स्थापित करेगा । उनके संरक्षण के लिए उपाय करेगा ताकि अल्पसंख्यक वर्गों का शैक्षिक स्तर का विकास किया जा सके । इसके अतिरिक्त अन्य कानून की भी व्यवस्था की गई है ।

- केन्द्रीय वक्फ समिति
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और विनिमय मंडल
- मौलाना आजाद शैक्षणिक संस्थान
- दरगा ख्वाजा साहिब अजमेर अधिनियम 1955 वक्फ अधिनियम 1995

मुख्य योजनाएं

1. मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना
2. मैट्रिक पश्चात छात्रवृति योजना
3. अल्पसंख्यक वर्गों के लिए निःशुल्क शिक्षा और संयुक्त योजना
4. मेधा सह-साधन छात्रवृति योजना
5. अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास योजना
6. मौलाना आजाद नेशनल फैलोशिप योजना

अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधान

नागरिक अधिकार अधिनियम 1955

भारतीय संविधान के अर्न्तगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए कई प्रावधान किए है । संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद - 17 के अर्न्तगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था । अस्पृश्यता की समाप्ति सम्बन्धी की गई व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया । नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के अर्न्तगत दलित समाज को धार्मिक स्थानों में प्रवेश और पूजा की मनाही करने वालों के विरूद्ध और धार्मिक तालाओं एवं घाटों आदि में प्रवेश की मनाही के विरूद्ध, सार्वजनिक स्थानों जैसे होटलों, धर्मशाला, मुसाफिर खाना, नौकरियों में जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों के विरूद्ध सजा का प्रावधान किए गए है ।

अनुसूचित जाति और जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध होने वाले शोषण और हिंसा को रोकने के लिए भारतीय सरकार द्वारा 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989 पारित किया गया जिसका मुख्य उद्‌देश्य दलितों को सामाजिक समावेश में मदद करना था । यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ । इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जालि के विरूद्ध किए किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा जो इस अधिनियम के विरूद्ध है के लिए दण्ड की भी व्यवस्था की गई है । 1995 में इस अधिनियम के अर्न्तगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राहत और पुर्नावास सम्बन्धी मानदण्डों को भी शामिल किया गया है । इस अधिनियम के खण्ड 14 के अर्न्तगत पीड़ित व्यक्ति या समूह को जल्द से जल्द न्याय दिलवाने के लिए एक विशेष अदालत के गठन के भी प्रावधान किए गए है । राज्य सरकार इस अधिनियम के अर्न्तगत आने वाले अपराधों के पीड़ितों के लिए विशेष अदालत का गठन कर सकती है । सरकार पीड़ित व्यक्ति के लिए निःशुल्क विधिक सहायता के लिए भी प्रावधान करती है 'राष्ट्रीय अपराधिक रिकार्ड ब्यूरों की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति संरक्षण अधिनियम 1989 के अर्न्तगत दर्ज मामले और उन मामलों के सम्बन्ध में पुलिस और अदालत की भूमिका' ।

©National Press Associates www.npajournals.org

पुलिस की भूमिका

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कुछ मामले	41916	7186
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले	22453	4109
खोजबीन के बाद खारिज मामले	9017	1219
पुलिस के समक्ष विचाराधीन मामले	10466	1865

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है, कि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित 53.5 प्रतिशत मामले अदालत में अभियोग फलक के अर्न्तगत दर्ज किए गए जिनमें से 21.5 प्रतिशत मामले खोजबीन के बाद खारिज कर दिए गए इस तरह अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित 57 प्रतिशत मामले अदालत में अभियोग फलक के अर्न्तगत दर्ज किए गए जिनमें से 17 प्रतिशत मामले खोजबीन के बाद खारिज कर दिए गए ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

संविधान में 65वां संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विषय में पूर्वगामी रक्षापायों के कार्यकरण का अन्वेषण करने और उन पर अपना प्रतिवेदन देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई । इस आयोग द्वारा जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 तक 19703 शिकायतों का निपटारा किया । इस आयोग द्वारा अनुसूचित जाति या समूह के सशक्तिकरण सम्बन्धी आयोग और मण्डल और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया । जिसका मुख्य उद्देश्य हाथ से मैला उठाने के कार्य को समाप्त करना और जो लोग यह कार्य करते हें उनके जीवनयापन के लिए अन्य रोजगार व सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ।

असमर्थ व्यक्तियों के लिए विशेष कानूनी प्रावधान

असमर्थ व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995

असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए व समान अवसर व सम्पूर्ण भागीदारी के लिए भारतीय संसद ने असमर्थ लोगों के लिए एक कानून पारित किया जिसे असमर्थ व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है । इस अधिनियम को स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के सुधारात्मक अधिनियम के रूप में प्रस्तुत किया गया जहां स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में केवल मूर्ख व पागल व्यक्ति शामिल थे, वही असमर्थ व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के अर्न्तगत सभी प्रकार के असमर्थ व्यक्तियों को शामिल किया गया है । इस अधिनियम के अर्न्तगत भारतीय संसद द्वारा असमर्थ व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण, आवास, रोजगार, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा, एकीकृत जीवन तथा भागीदारी के लिए निबंधी वातावरण सूचना सूचनाओं के साधन तक पहुंचने तथा इस प्रकार उनको आत्मनिर्भरता तथा सम्मान प्रदान करने के वैध अधिकार प्रदान किए हैं । इस अधिनियम के अर्न्तगत असमर्थ बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क विशेष शिक्षा के प्रावधान किए गए है । इसके अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी सहायक यंत्रों सुविधाएं, विशेष शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने सम्बन्धी प्रावधान भी किए गए है ।

असमर्थ बच्चों के संयुक्त शिक्षा योजना के तहत राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता, परिवहन भत्ता, वर्दी, स्टेशनरी, किताबें व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी 2002 से 2003 के अर्न्तगत भारत के 27 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों में लगभग 50 हजार स्कूलों में इस योजना को लागू किया गया है जिससे लगभग 169000 से अधिक असमर्थ बच्चों को लाभ पहुंचा है ।

भारत में असमर्थ बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के भी प्रावधान किए गए है । 1947 में भारत में असमर्थ बच्चों के लिए लगभग 20 विशेष सकूल थे जिनकी संख्या 2005 में बढ़कर 3000 हो गई ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1998 में असमर्थ व्यक्तियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना के तहत बी.ए. कोर्स के अर्न्तगत असमर्थ लोगों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण कोर्स की भी व्यवस्था की गई ।

©National Press Associates www.npajournals.org

अधिनियम 1995 द्वारा असमर्थ लोगों के लिए परिवहन के क्षेत्र में सरकारी रेल कम्पार्टमेंट, बसों, जहाजों और वायुयानों में पहुंचाने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी ।

अधिनियम 1995 के तहत असमर्थ व्यक्तियों के लिए राहत व पुर्नवास सम्बन्धी प्रावधान किए जाएंगे और सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकार द्वारा असमर्थ व्यक्तियों को वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी ।

यह अधिनियम सरकार द्वारा स्थापित और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में असमर्थ व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान भी करता है और असमर्थ व्यक्तियों की केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति को रोकने सम्बन्धी नियमों को भी निषेद्धित करता है । यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा अवधि में विकलांग हो गया है तो उसके पद को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता ।

1997 भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम का गठन किया गया। यह नियम असमर्थ लोगों को ब्याज की कम दरों पर ऋण प्रदान करता है ।

खेलों के क्षेत्र में भी असमर्थ लोगों के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था की गई है इस योजना द्वारा क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए असमर्थ व्यक्तियों को विशेष खेल प्रशिक्षण, खेल उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए वितीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है यह योजना प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों के 250 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगी ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत में हो रहे भेदभाव से निपटने के लिए अनेक प्रावधान, नीतियों व कानूनों का निर्माण किया गया है । प्रत्येक व्यक्ति को भेदभावमुक्त वातावरण देने व मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि इन कानूनों व नीतियों को सही ढंग से लागू किया जाये तभी समाज में समानता का वातावरण निर्मित किया जा सकता है ।

सन्दर्भ सूची

1. दुर्गादास बसु, भारत का संविधान - एक परिचय, वाधवा पब्लिकेशन, 2002, पृ. 87-89 ।
2. ए.आई.आर. 1981, एस.सी. 1829 ।
3. ए.आई.आर. 1951, बी.ओ.एम. 470 (1951) 53 बी.ओ.एम.एल.आर. 73 आई.एल.आर. 1952, बी.ओ.एम. 449 ।
4. सुधारानी श्रीवास्तव, महिला शोषण और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, पृ. 78-79 ।
5. जय नारायण पाण्डे, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 2005, पृ. 23-28 ।
6. के.वी. सक्सेना, मानव अधिकार और संविधान ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2003, पृ. 111-112 ।
7. ए.आई.आर. 1997, एस.सी. 301 ।
8. सुधारानी श्रीवास्तव, मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 235-237 ।
9. एम. लक्ष्मीकान्त, भारत की राजव्यवस्था, टाटा मैक्ग्रेव हिल एजुकेशन प्राईवेट लि. नई दिल्लीद्व 2011, पृ. 87-89 ।
10. आर.पी. जोशी, मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य, ए.वी. पब्लिकेशन, अजमेर 2003, पृ. 309 ।
11. एम. लक्ष्मीकान्त, भारत की राजव्यवस्था, टाटा मैक्ग्रेव हिल एजुकेशन प्राईवेट लि., नई दिल्ली, 2011, पृ. 311-313 ।
12. निशान्त सिंह, मानवअधिकार और महिलाएं राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 74-77 ।
13. रमा शर्मा, महिला विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, 2010, पृ. 108-112 ।
14. अनिल भूमाली, माइनारटीज इन इंडिया, सिरियल्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृ. 95-100।
15. एस.सी. लाम्बा, मानवाधिकार और पिछड़ा वर्ग, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृ. 91-93 ।
16. रिर्पोट ऑन प्रीवेन्शन ऑफ एट्रोसिटी अगेन्सट शेडयूल कास्ट, नेशनल हयूमन राईटस कमीशन, पृ. 18-19 ।
17. Disability Manual 2005, P. 286 (NHRC)
18. India.gov.in/citizen/health.disabilitionphp

©National Press Associates www.npajournals.org